

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

सचिका सं०-०९ / उपा० कीट०(विविध)-१३/२०१४ ३८६।

क० पटना, दिनांक २८-९-२०२०

प्रेषक,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

Govt of Bihar
Directorate of Agriculture



सेवा में,

- (i) राज्य के सभी कीटनाशी विनिर्माता / फॉरमुलेटर।
- (ii) राज्य के सभी कीटनाशी विपणनकर्ता।

विषय :- कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग ii खण्ड-३ उपखण्ड i, नई दिल्ली, शुक्रवार ०५ जून- २०२० / ज्येष्ठ १५, १९४२ अधिसूचना ०४ जून २०२०

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन राजपत्र के आलोक में जारी अधिसूचना के द्वारा कीटनाशियों के पैकिंग एवं लेबेलिंग से सम्बन्धित कीटनाशी नियम १९७१ में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। इसे कीटनाशी (द्वितीय संशोधन) नियम, २०२० कहा गया है। कीटनाशी के पैकिंग एवं लेबेलिंग से सम्बन्धित किये गये आवश्यक संशोधन के राजपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः संशोधन के अनुरूप कीटनाशियों की पैकिंग एवं लेबेलिंग करना सुनिश्चित किया जाए। यह राजपत्र के प्रकाशन की तिथि ०५ जून २०२० से प्रभावी है। संशोधन के अनुरूप पैकिंग एवं लेबेलिंग नहीं करने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम १९६९/नियम १९७१ के सुसंगत धारा/नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रस्ताव में माननीय कृषि मंत्री, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

झापांक :- ०९ / उपा० कीट०(विविध)-१३/२०१४ ३८६। / क०, पटना, दिनांक २८-९-२०२०

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक पौ०स० बिहार, पटना/प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य) बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक पौ० स०/सभी सहायक निदेशक पौ०स०/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३
२५-०९-२०२०

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।